हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.inवेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 266 /अका./2023 दुर्ग, दिनांक 05.04.2023

//अधिसूचना//

माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.03.2023 में प्राप्त अनुमोदनानुसार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा 01 से 03 माह की अवधि तक के मूल्य वर्धित (Value Added) पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु **विनियम क्रमांक DU–46** की स्थापना निम्नानुसार की गई है :–

Regulation No. - DU-46

1. इन प्राठ्यक्रमों में 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति (महिला/पुरूष) हिस्सा ले सकता है।
2. उक्त ऑनलाईन/ऑफलाईन मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के सफल संचालन एवं देश के विभिन्न हिस्सों से आमंत्रित विषय–विषेषज्ञों के मानदेय भुगतान हेतु एवं ऑनलाईन प्लेटफार्म के क्रय तथा अन्य आवश्यक व्यय हेतु प्रत्येक प्रतिभागी से 300/– से लेकर 1000/– तक शुल्क लिया जाएगा।
3. शुल्क की राशि का निर्धारण मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम की अवधि तथा पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार माननीय कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श कर तय किया जाएगा।
4. इन मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी का मूल्यांकन तीन चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रतिभागी को विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित विषय पर हस्तलिखित अथवा टाइप किये हुए लगभग 15–20 पेज का प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय में ऑफलाईन रूप से जमा करना होगा। द्वितीय चरण में प्रतिभागी द्वारा जमा किये गये प्रोजेक्ट का मूल्यांकन तथा प्रतिभागी द्वारा प्रोजेक्ट पर आधारित पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के आधार पर किया जायेगा। प्रोजेक्ट तथा पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के कुल अंक 50 होंगे। तृतीय चरण में कोर्स से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर प्रतिभागी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से देना अनिवार्य होगा। इसके कुल अंक 50 होंगे इस प्रकार प्रोजेक्ट, पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा को मिलाकर कुल 100 अंकों में से प्रतिभागी का मूल्यांकन किया जायेगा।

कृ.प.उ...

5. प्रोजेक्ट एवं पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे। इन बाह्य परीक्षकों को छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यात्रा व्यय तथा मानदेय प्रतिदिन रू. 1500/– दिया जाएगा।
6. प्रतिभागियों को मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम से संबंधित प्रमाणपत्र ग्रेड सहित प्रदान किया जाएगा। जिसमें प्रतिभागी को प्रोजेक्ट/पावर पाइंट प्रस्तुतिकरण के प्राप्तांक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ग्रेड का उल्लेख होगा। ग्रेड का निर्धारण हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग के नियमानुसार किया जाएगा।
7. प्रत्येक मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के सफल संचालन हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार कोर्स समन्वयक की नियुक्ति की जाएगी।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 267 /अका./2023 — दुर्ग, दिनांक 05.04.2023

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक सी, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय को सूचनार्थ।
4. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग।

सहा. कुलसचिव (अका.)